



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 16, बुधवार, शाके 1944-अप्रैल 6, 2022
Chaitra 16, Wednesday, Saka 1944- April 6, 2022

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 6, 2022

संख्या प.2(10)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022
(2022 का अधिनियम संख्यांक 6)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई)

स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी अध्यापयों का उपबंध करने के लिए और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए अभिहित न्यायालयों, और उनसे संसक्त या आनुषंगिक मामलों, का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सार्वजनिक परीक्षा का संचालन" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है प्रश्नपत्रों, उत्तर पत्रकों, ओ.एम.आर. शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग, प्रक्रिया, भंडारकरण, परिवहन, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा, इत्यादि;

(ख) "परीक्षा प्राधिकारी" से अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "परीक्षा केन्द्र" से किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर सम्मिलित है;

(घ) "परीक्षार्थी" से ऐसा व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है और इसमें उसके निमित्त श्रुतलेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति सम्मिलित है;

(ड) "सार्वजनिक परीक्षा" से स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा अभिप्रेत है;

(च) "अनुचित साधन" में,-

(i) किसी परीक्षार्थी के संबंध में, सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना, सम्मिलित है;

(ii) किसी व्यक्ति के संबंध में,-

- I. प्रश्नपत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षडयंत्र करना; या
- II. प्रश्नपत्र को अप्राधिकृत रीति से उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना; या
- III. अप्राधिकृत रीति से प्रश्नपत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्नपत्र हल करने में सहायता मांगना; और
- IV. सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना,

सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण.- किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी सम्मिलित है; और

(छ) इसमें प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में परिभाषित किये गये शब्दों और अभि व्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित किये गये हैं।

3. अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध.- कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा।

4. प्रश्नपत्र का कब्जा और प्रकटीकरण.- सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्नपत्रों को खोलने और उनका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति नियत समय से पूर्व निम्नलिखित नहीं करेगा-

(क) ऐसे प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रति को खोलना, प्रकट करना या उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना या हल करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को, कोई गोपनीय सूचना, जहां ऐसी गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित है या उसके संदर्भ में है, देना या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन देना।

5. परीक्षा कार्य से न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम.- कोई भी व्यक्ति, जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में न्यस्त है या उसमें लगा हुआ है, सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात हो, ऐसी सूचना या उसका भाग, जो उसे इस प्रकार न्यस्त किये जाने वाले कार्य के आधार पर जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करवायेगा या नहीं बतायेगा।

6. प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक या ओ.एम.आर. शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण.- कोई भी व्यक्ति, जो प्रश्नपत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत नहीं है या जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में-

- (क) ऐसा प्रश्नपत्र या उत्तर पत्रक या ओ.एम.आर. शीट या उसका कोई भाग या प्रति किसी भी रूप में उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा; या
- (ख) ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके, ऐसे प्रश्नपत्र से संबद्ध या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है।

7. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध.- कोई भी व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त नहीं है या जो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन कार्य में लगा हुआ नहीं है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

8. परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जायेगा.- कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त है या जो उसमें लगा हुआ है, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा और न ही करवायेगा।

9. प्रबंधतंत्र, संस्था या अन्य द्वारा अपराध.- (1) जब कभी प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किये जाने के समय, प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारबार का प्रभारी था, या प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारबार के संचालन के लिए प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के प्रति उत्तरदायी था, साथ ही साथ प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और स्वयं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दायी होंगे और तदनुसार दण्डित किये जायेंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और यह कि उसने उस अपराध को कारित होने से रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या उनकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है तो ऐसा निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और स्वयं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दायी होंगे और तदनुसार दंडित किये जायेंगे।

10. शास्तियां.- (1) यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2(च)(i) के अधीन यथापरिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसा परीक्षार्थी दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि नौ मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति, चाहे सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के कर्तव्य के लिए न्यस्त या प्राधिकृत किया गया हो या नहीं, षडयंत्र में या अन्यथा धारा 2(च)(ii) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त है या लिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा:

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

11. दोषसिद्धि पर विवर्जन.- कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किया जायेगा।

12. संपत्ति की कुर्की और अधिहरण.- (1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किन्हीं आगमों को धारित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा।

(2) यदि, इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम की द्योतक है, तो वह राज्य सरकार के लिखित में पूर्व अनुमोदन से ऐसी चल या अचल या दोनों संपत्ति के अभिग्रहण का आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य न हो, वहां ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश यह निदेश देते हुए करेगा कि अभिहित न्यायालय या, यथास्थिति, ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसी संपत्ति को अंतरि त नहीं किया जायेगा या उसके संबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

(3) अन्वेषण अधिकारी ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के अड़तालीस घंटों के भीतर अभिहित न्यायालय को सम्यक् सूचना देगा।

(4) यह अभिहित न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वो उप-धारा (2) के अधीन किये गये अभिग्रहण या कुर्की के आदेश की या तो पुष्टि करे या उसका प्रतिसंहरण करे:

परन्तु अभिहित न्यायालय तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न किया गया हो।

(5) जहां अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो अभिहित न्यायालय किसी दण्ड के निर्णय के अतिरिक्त, लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि आदेश में विनिर्दिष्ट और अभियुक्त से संबंधित सभी विल्लंगमों से मुक्त कोई भी चल या अचल या दोनों संपत्ति राज्य सरकार को अधिहत समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम" से समस्त प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों और इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, बिना उस व्यक्ति का विचार किये जिसके नाम से ऐसे आगम हैं या जिसके कब्जे में वे पाये जाते हैं।

13. समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंधतंत्र इत्यादि का दायित्व.- यदि प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य का कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है तो प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य, अभिहित न्यायालय द्वारा अवधारित, परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और व्यय का संदाय करने के लिए दायी होंगे और उन्हें सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा।

14. अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना.- इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे।

15. अपराधों का अन्वेषण.- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कारित किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।

16. अभिहित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण, इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालयों द्वारा ही किया जायेगा।

17. अभिहित न्यायालयों को नियुक्त करने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने सेशन न्यायालय अभिहित कर सकेगी, जितने वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए आवश्यक समझे।

18. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

19. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

20. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उन सत्रों की, जिनमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची-1**[धारा 2(ख)]**

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग
2. राजस्थान उच्च न्यायालय
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
4. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति
5. राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
7. राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, जयपुर
8. राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम
9. कोई सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रम
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी

अनुसूची-2**[धारा 2(ड)]**

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
4. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
5. राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा।
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा।
7. राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, जयपुर द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
8. राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
9. किन्हीं सोसाइटियों, निगमों, स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा।
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा।

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 6, 2022

No. F. 2(10)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Sarvjanik Pareeksha (Bhartee Mein Anuchit Sadhanon Kee Roktham Ke Adhyupay) Adhinyam, 2022 (2022 Ka Adhinyam Sankhyank 6):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (MEASURES FOR PREVENTION OF
UNFAIR MEANS IN RECRUITMENT) ACT, 2022
(Act No. 6 of 2022)**

(Received the assent of the Governor on the 5th day of April, 2022)

An

Act

to provide for effective measures to prevent and curb the offences of leakage of question papers and use of unfair means at public examinations for the purpose of recruitment to any post under the State Government including autonomous bodies, authorities, boards or corporations, and to provide for designated courts for the trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

- (a) "conduct of public examination" means and includes preparation, printing, supervision, coding, processing, storing, transportation, distribution and collection of question papers, answer sheets, OMR sheets and result sheets, evaluation, declaration of result, etc;
- (b) "examination authority" means an examination authority as specified in the Schedule-I;
- (c) "examination center" means any institution or part thereof or any other place fixed and used for the holding of a public examination and includes the entire premises attached thereto;
- (d) "examinee" means a person who has been granted permission by the concerning authority to appear in a public examination, and includes a person authorized to act as scribe on his behalf;
- (e) "public examination" means examination for the purpose of recruitment to any post under the State Government including autonomous bodies, authorities, boards or corporations as specified in the Schedule-II;
- (f) "unfair means" includes,-

- (i) in relation to an examinee, to take unauthorized help in public examination from any person or group directly or indirectly or from any material written, recorded, copied or printed, in any form whatsoever, or use of any unauthorized electronic or mechanical instrument or gadget;
- (ii) in relation to any person,-
 - I. to impersonate or leak or attempt to leak or conspire to leak question paper; or
 - II. to procure or attempt to procure or possess or attempt to possess question paper in unauthorized manner; or
 - III. to solve or attempt to solve or seek assistance to solve question paper in unauthorized manner; and
 - IV. directly or indirectly assist the examinee in the public examination in unauthorized manner.

Explanation.- Any person also includes an examinee; and

- (g) the words and expressions used herein and not defined, but defined in the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), shall have the same meanings respectively assigned to them in that code.

3. Prohibition of use of unfair means.- No person shall use unfair means at any public examination.

4. Possession and disclosure of question paper.- No person authorized by virtue of his duties in conduct of public examination shall before the time fixed for opening and distribution of question papers-

- (a) open, leak or procure or attempt to procure, possess or solve such question paper or any portion or a copy thereof; or
- (b) give any confidential information or promise to give such confidential information to any person or examinee, where such confidential information is related to or in reference to such question paper.

5. Prevention of leakage by person entrusted or engaged with examination work.- No person, who is entrusted or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

6. Unauthorized possession or disclosure of question paper and answer sheet or OMR sheet in any form.- No person who is not lawfully authorized or permitted by virtue of his duties to do so, shall, before the time fixed for the distribution of question papers-

- (a) procure or attempt to procure or possess, such question paper or answer sheet or OMR sheet or any portion or copy thereof in any form; or
- (b) impart or offer to impart, such information which he knows or has reason to believe to be related to, or derived from or to have a bearing upon such question paper.

7. Prohibition to enter in examination center.- No person who is not entrusted or engaged with the work pertaining to public examination or conduct of public examination or who is not an examinee, shall enter the premises of the examination center.

8. No place other than examination center shall be used for public examination.-

No person who is entrusted or engaged with the work pertaining to public examination shall use or cause to be used any place, other than the examination center, for the purpose of holding public examination.

9. Offences by Management, Institution or others.- (1) Whenever an offence under this Act has been committed by Management or Institution or Limited Liability Partnership or others, every person who at the time the offence was committed was incharge of, or was responsible to the Management or Institution or Limited Liability Partnership or others for conduct of the business of the Management or Institution or Limited Liability Partnership or others, as well as the Management or Institution or Limited Liability Partnership or others, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by Management or Institution or Limited Liability Partnership or others and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, partner, manager, secretary or other officer of the Management or Institution or Limited Liability Partnership or others, such director, partner, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

10. Penalties.- (1) If any examinee indulges in unfair means as defined under section 2(f)(i) shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine, which shall not be less than one lakh rupees and in case of default of payment of fine such examinee shall also be liable to be punished with imprisonment of either description for a term of nine months.

(2) If any person, including examinee, whether entrusted or authorized with the conduct of public examination or not, in conspiracy or otherwise indulges or attempts to indulge in unfair means as defined in section 2(f)(ii) or contravenes or abets to contravene any of the provisions of this Act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment of ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees but which may extend to ten crore rupees and in case of default of payment of fine such person shall also be liable to be punished with imprisonment of either description for a term of two years:

Provided that the Court may for any adequate and special reasons to be recorded in the judgement impose a sentence of imprisonment for a term of less than five years.

11. Debarment on conviction.- An examinee who has been convicted of an offence under the provision of this Act shall be debarred from taking any public examination for a period of two years.

12. Attachment and confiscation of property.- (1) No person shall hold or be in possession of any proceeds of any offence under this Act.

(2) If an officer, investigating an offence committed under this Act, has reason to believe that any property represents proceeds of any offence under this Act, he shall, with the prior approval in writing of the State Government make an order seizing such property, movable or immovable or both, and where it is not practicable to seize such property, make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the officer making such order or, as the case may be, the Designated Court and a copy of such order shall be served on the person concerned.

(3) The investigating officer shall duly inform the Designated Court, within forty-eight hours of the seizure or attachment of such property.

(4) It shall be open to the Designated Court either to confirm or revoke the order of seizure or attachment made under sub-section (2):

Provided that the Designated Court shall not pass an order unless an opportunity of making representation is given to the person whose property is being attached.

(5) Where the accused has been convicted of any offence punishable under this Act, the Designated Court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing, declare that any property, movable or immovable or both belonging to the accused and specified in the order shall stand confiscated to the State Government free from all encumbrances.

Explanation.- For the purpose of this section “proceeds of any offence under this Act” means all kind of properties which have been derived or obtained from commission of any offence under this Act or have been acquired through funds traceable to any offence under this Act and shall include cash, irrespective of person in whose name such proceeds are standing or in whose possession they are found.

13. Liability of Management etc. to pay all cost and expenditure.- If the person of the Management or Institution or Limited Liability Partnership or others has been found guilty of the offence under sub-section (2) of section 10 of this Act, the Management or Institution or Limited Liability Partnership or others shall be liable to pay all cost and expenditure related to the examination, determined by the Designated Court and shall be banned forever.

14. Offences to be Cognizable, non-bailable and non-compoundable.- All offences specified under this Act, shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable.

15. Investigation of the offences.- No police officer below the rank of Additional Superintendent of Police shall investigate any offence committed under this Act.

16. Cases triable by Designated Courts.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), or in any other law for the time being in force, the offences specified under this Act shall be tried by the courts designated under this Act.

17. Power to appoint Designated Courts.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, designate as many Courts of Sessions in consultation with the Chief Justice of the High Court of Rajasthan as it may be necessary to try offences punishable under this Act.

18. Act not in derogation of any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.


19. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

20. Power to make rules.- (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the sessions in which they are so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.



SCHEDULE-I

[Section 2(b)]

1. Rajasthan Public Service Commission
2. Rajasthan High Court
3. Rajasthan Staff Selection Board
4. Any other authority or agency or recruitment committee engaged or constituted by the State Government
5. State Funded Universities
6. Rajasthan Board of Secondary Education
7. Rajasthan Police Recruitment and Promotion Board, Jaipur
8. Public Sector Undertaking owned by State Government
9. Any Societies, Corporations, Local Bodies and all PSU's owned by the State Government substantially or partially
10. Any other authority notified by State Government

SCHEDULE-II

[Section 2(e)]

1. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commission.
2. Any examination conducted by the Rajasthan High Court.
3. Any examination conducted by the Rajasthan Staff Selection Board.
4. Any examination conducted by any other authority or agency or recruitment committee engaged or constituted by the State Government.
5. Any recruitment examination conducted by the State Funded Universities.
6. Any recruitment examination conducted by the Rajasthan Board of Secondary Education.
7. Any examination conducted by the Rajasthan Police Recruitment and Promotion Board, Jaipur.
8. Any examination conducted by the Public Sector Undertaking owned by State Government.
9. Any other examination conducted by any Societies, Corporations, Local Bodies and all PSU's owned by State Government substantially or partially.
10. Any other examination notified by the State Government or conducted by any agency appointed by the State Government.

प्रवीर भटनागर,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।